अध्याय–VI

आर्थिक क्षेत्र के अन्तर्गत विभागों और संस्थाओं (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अतिरिक्त) की कार्य पद्धति

6.1 प्रस्तावना

यह अध्याय लेखापरीक्षित इकाइयों की रूपरेखा, आर्थिक क्षेत्र के अन्तर्गत व्यय की प्रवृत्ति, लेखापरीक्षा के प्रति सरकार की प्रतिक्रिया, पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर की गयी कार्यवाही, आर्थिक क्षेत्र के अन्तर्गत संस्थाओं के (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अतिरिक्त) के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को राज्य विधानसभा में प्रस्तुत किए जाने की स्थिति एवं उनके लेखाओं के बकाया की स्थिति दर्शाता है।

6.2 विभागों और प्राधिकरणों की रूपरेखा

उत्तर प्रदेश सरकार (जीओयूपी) के 18 विभाग और 44 प्राधिकरण आर्थिक क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं। अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव द्वारा इन विभागों का नेतृत्व किया जाता है, जिनकी सहायता आयुक्तों/निदेशकों एवं उनके अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा की जाती है।

वर्ष 2013–18 के दौरान राज्य सरकार के बजट अनुमान एवं वास्तविक व्यय की प्रवृत्ति लेखाचित्र–1 में दर्शायी गयी है।

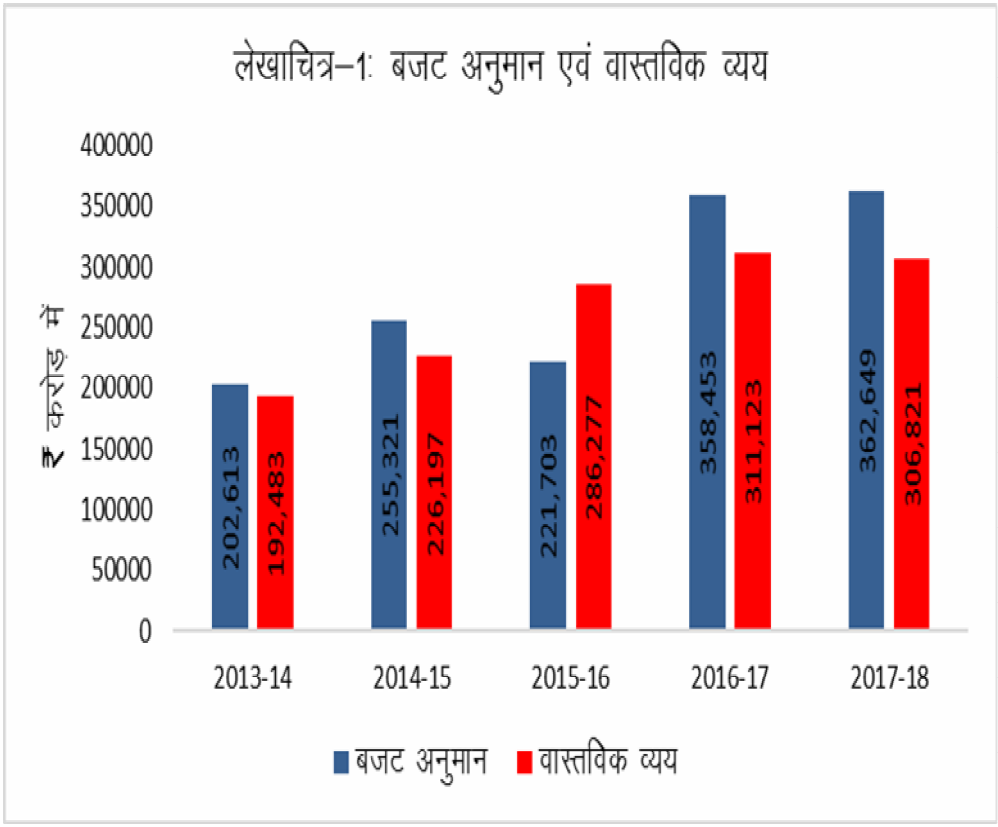

स्रोत : सम्बंधित वर्षों के वार्षिक वित्तीय विवरण एवं राज्य बजट के व्याख्यात्मक ज्ञापन

वर्ष 2015–16 से 2017–18 के दौरान आर्थिक क्षेत्र के अन्तर्गत पाँच प्रमुख विभागों के व्यय की प्रवृत्ति तालिका 6.1 में दी गई है।

तालिका–6.1: आर्थिक क्षेत्र के अन्तर्गत प्रमुख विभागों के व्यय की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

विभाग	2015-16	2016-17	2017-18
ऊर्जा	48,218.81	33,976.69[1]	17,265.50[2]
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग	3,080.27	6,296.11[3]	1,740.56[4]
आवास एवं शहरी नियोजन	2,213.97	2,888.06	723.39[5]
राजस्व (कलेक्ट्रेट के अतिरिक्त)	2,495.16	2,721.56	2,987.80
वन	840.46	1,231.72	808.21[6]

स्रोत : सम्बंधित वर्षों के विनियोजन लेखे

6.3 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

वर्ष 2017–18 के दौरान, प्रधान महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा), उत्तर प्रदेश ने आर्थिक क्षेत्र से सम्बंधित 18 विभागों के अन्तर्गत कुल 508 लेखापरीक्षा योग्य इकाईयों में से 111 की अनुपालन लेखापरीक्षा की।

6.4 लेखापरीक्षा पर शासन की प्रतिक्रिया

लेखापरीक्षा, लेखापरीक्षित इकाईयों/विभागों को लेखापरीक्षा प्रेक्षणों पर उनके विचार प्राप्त करने के लिए चार चरणों में अवसर प्रदान करता है, जैसे,

- **लेखापरीक्षा ज्ञापनः** लेखापरीक्षा के दौरान लेखापरीक्षित इकाई के प्रमुख को जारी किया जाते हैं, जिनका उत्तर उन्हें लेखापरीक्षा के दौरान ही देना होता है।
- **निरीक्षण प्रतिवेदन (निप्र):** लेखापरीक्षा सम्पन्न होने के एक माह के अन्दर जारी किया जाता है, जिस पर लेखापरीक्षित इकाई के प्रमुख को चार सप्ताह के अन्दर प्रत्युत्तर देना होता है।
- **ड्राफ्ट पैराग्राफः** लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में उनको शामिल करने से पूर्व विचार करने हेतु विभागों के प्रमुखों, जिनके अन्तर्गत लेखापरीक्षित इकाईयां कार्य करती हैं, को छः सप्ताह की अवधि के अन्दर विभागीय मत प्रस्तुत करने हेतु जारी किये जाते हैं।
- **समापन गोष्ठीः** लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को अन्तिम रूप देने से पूर्व लेखापरीक्षा प्रेक्षणों पर विभाग/शासन के विचारों को प्राप्त करने हेतु विभाग के प्रमुख एवं राज्य सरकार को अवसर दिया जाता है।

इन सभी चरणों में लेखापरीक्षा, लेखापरीक्षित इकाईयों/विभाग प्रमुखों/राज्य सरकार को खंडन और स्पष्टीकरण देने के लिए पूर्ण अवसर प्रदान करने का प्रयास करती है और केवल जब विभागीय उत्तर प्राप्त नहीं होते हैं अथवा ठोस/स्वीकार करने योग्य नहीं होते हैं, तभी लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को निरीक्षण प्रतिवेदन या लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, जैसा भी प्रकरण हो, में शामिल करने की प्रक्रिया की जाती है। हालाँकि, ज्यादातर

---

1 उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेन्स योजना (उदय) के लिए 2015–16 में ₹ 24,232.48 करोड़ एवं 2016–17 में ₹ 14,801.28 करोड़ व्यय किये गये।

2 2017–18 के दौरान व्यय में कमी मुख्यतः विद्युत सब्सिडी, पूँजीगत व्यय तथा विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण में कमी के कारण थी।

3 पूर्वान्चल एक्सप्रेसवे के लिए 2016–17 में ₹ 2,882.25 करोड़ निर्गत किये गये।

4 2017–18 के दौरान व्यय में कमी मुख्यतः सड़कों एवं सेतुओं पर पूँजीगत व्यय में कमी के कारण थी।

5 2017–18 के दौरान व्यय में कमी मुख्यतः शहरी विकास, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं; शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति, आवास एवं शहरी विकास पर व्यय में कमी तथा शहरी विकास के लिए ऋणों में कमी के कारण थी।

6 2017–18 के दौरान व्यय में कमी मुख्यतः वानिकी एवं वन्यजीवों पर पूँजीगत व्यय में कमी के कारण थी।

प्रकरणों में लेखापरीक्षित इकाईयां/विभाग समय पर एवं संतोषजनक उत्तर प्रदान नहीं करते हैं, जैसा कि नीचे इंगित किया गया है।

6.4.1 निरीक्षण प्रतिवेदन (निप्र)

18 विभागों से सम्बंधित 716 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (डीडीओ) को मार्च 2018 तक जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों की विस्तृत समीक्षा में यह प्रकट हुआ कि 31 मार्च 2018 तक ठोस उत्तर की प्रत्याशा में 1,537 निरीक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित 5,646 प्रस्तर निराकरण हेतु लंबित थे। इनमें से, 238 निरीक्षण प्रतिवेदनों में शामिल 584 प्रस्तरों के प्रारम्भिक उत्तर डीडीओ द्वारा प्रस्तुत किये गये थे जबकि 1,299 निरीक्षण प्रतिवेदनों में शामिल 5,062 प्रस्तरों के सन्दर्भ में डीडीओ की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गयी थी।

लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति तालिका 6.2 में दर्शायी गयी है।

तालिका–6.2: लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं प्रस्तरों (31 मार्च 2018 तक जारी) की 31 मार्च 2019 को स्थिति

क्रं0सं0	अवधि	लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या (प्रतिशत)	लंबित प्रस्तरों की संख्या (प्रतिशत)
1	2017-18	129 (8)	459 (8)
2	1 वर्ष से 3 वर्षों तक	410 (27)	2,183 (39)
3	3 वर्षों से 5 वर्षों तक	214 (14)	859 (15)
4	5 वर्षों से अधिक	784 (51)	2,145 (38)
योग		**1,537**	**5,646**

स्रोत : लेखापरीक्षा द्वारा संकलित सूचना

वर्ष 2017–18 के दौरान, विभागीय अधिकारियों के साथ लेखापरीक्षा की दो बैठकें (लेखापरीक्षा समिति बैठकें) आयोजित की गयीं जिनमें 06 निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा 17 प्रस्तरों का निराकरण किया गया।

6.4.2 निष्पादन और अनुपालन लेखापरीक्षाएं

वर्तमान लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2017–18 के लिए 10 ड्राफ्ट लेखापरीक्षा प्रस्तरों को सम्बंधित प्रशासनिक सचिवों को लेखापरीक्षा प्रेक्षणों पर अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए प्रेषित किया गया था। हालाँकि, नौ लेखापरीक्षा प्रस्तरों से सम्बंधित उत्तर/प्रतिक्रियाएँ प्राप्त हुई हैं। एक लेखापरीक्षा प्रस्तर का प्रत्युत्तर बार–बार स्मरण कराने के बाद भी अभी तक (सितम्बर 2019) प्राप्त नहीं हुआ है।

6.5 पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर की गयी कार्यवाही

6.5.1 लंबित उत्तर

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन लेखापरीक्षा जाँच की प्रक्रिया की पराकाष्ठा का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए, यह आवश्यक है कि कार्यपालिका से उपयुक्त एवं समय से उत्तर प्राप्त हों। भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में सम्मिलित प्रस्तरों/निष्पादन लेखापरीक्षाओं के उत्तर/व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ, राज्य विधानमण्डल में प्रतिवेदन के प्रस्तुत होने के दो से तीन माह के अन्दर प्रस्तुत करने हेतु, सभी प्रशासनिक विभागों को वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ने निर्देश निर्गत किये थे (जून 1987)। अप्राप्त व्याख्यात्मक टिप्पणियों की स्थिति तालिका–6.3 में दी गयी है।

तालिका–6.3: अप्राप्त व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ[7] (30 सितम्बर 2019 तक)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (आर्थिक क्षेत्र/गैर पीएसयू) का वर्ष	राज्य विधानमण्डल में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की तिथि	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अन्तर्गत कुल निष्पादन लेखापरीक्षाएं (निले)/विषयगत लेखापरीक्षा (विले) तथा अनुपालन लेखापरीक्षा (अले) प्रस्तर		निले, विले एवं अले प्रस्तरों की संख्या जिनकी व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ प्राप्त नहीं हुईं	
		निले/विले	अले प्रस्तर	निले/विले	अले प्रस्तर
2012-13	1 जुलाई 2014	2	6	2	0
2013-14	17 अगस्त 2015	2	5	1	2
2014-15	8 मार्च 2016	4	4	4	4
2015-16	18 मई 2017	2	4	2	4
2016-17	19 जुलाई 2019	-	4	-	4
योग		**10**	**23**	**9**	**14**

स्रोत : लेखापरीक्षा द्वारा संकलित सूचना

6.5.2 लोक लेखा समिति (लोलेस) द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर विचार–विमर्श

वर्ष 2012–13 से 2016–17 के दौरान आर्थिक क्षेत्र के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में 10 निले/विले तथा 23 अनुपालन लेखापरीक्षा प्रस्तर प्रस्तुत किये गये। इनमें से, लोलेस ने नौ प्रस्तर लिखित उत्तर के लिए चुने। हालाँकि, इन प्रस्तरों के संबंध में कोई कृत–कार्यवाही टिप्पणी (एक्शन टेकेन नोट) प्राप्त नहीं हुई है। 30 सितम्बर 2019 को लोलेस द्वारा विचार–विमर्श की विस्तृत स्थिति तालिका–6.4 में दी गयी है।

तालिका–6.4: लोलेस, उत्तर प्रदेश, विधानसभा द्वारा विचार–विमर्श की स्थिति

स्थिति	वर्ष 2012–13 से 2016–17 के लिए आर्थिक क्षेत्र/गैर–पीएसयू लेखापरीक्षा प्रतिवेदन
लेखापरीक्षा प्रस्तरों की कुल संख्या	33 (10 निले/विले + 23 अले)
लोलेस द्वारा विचार–विमर्श हेतु लिये गये (मौखिक चर्चा)	शून्य
लोलेस द्वारा लिखित उत्तर प्रस्तुत करने हेतु लिये गये	09 (02 निले/विले + 07 अले)
लोलेस द्वारा की गयी अनुशंसा	शून्य
प्राप्त कृत–कार्यवाही टिप्पणी (एक्शन टेकेन नोट)	शून्य
विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही	लागू नहीं

स्रोत : लेखापरीक्षा द्वारा संकलित सूचना

6.6 संस्थाओं के लेखाओं की लेखापरीक्षा की स्थिति

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक को लेखापरीक्षा के लिए सौंपे गए राज्य सरकार के संस्थाओं के शासी अधिनियमों/शासनादेशों/भारत के संविधान के प्रावधानों के अनुसार, इन संस्थाओं के लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा तैयार किया जाता है तथा राज्य विधानमण्डल में सरकार द्वारा रखा जाता है।

[7] वन विभाग, लोक निर्माण विभाग, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग एवं निर्यात संवर्धन विभाग, ऊर्जा विभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, अतिरिक्त स्रोतों से ऊर्जा/गैर–पारम्परिक ऊर्जा विभाग, पर्यावरण विभाग, पर्यटन विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग एवं सहकारिता विभाग से सम्बंधित।

संस्थाओं के बकाया लेखाओं का अन्तिमीकरण तथा प्रस्तुति

6.6.1 31 मार्च 2018 तक उत्तर प्रदेश के आर्थिक क्षेत्र के तहत 44 संस्थाओं के वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक को सौंपी[8] गयी थी। 44 संस्थाओं में से दो संस्थाओं ने अपने 2017–18 तक के लेखाओं को अन्तिम रूप दिया था। बची हुयी 42 संस्थाओं के 106 लेखे, सितम्बर 2019 तक बकाया थे। 42 संस्थाओं में से, 36 संस्थाओं के लेखे एक वर्ष से बकाया थे, एक संस्था का लेखा पाँच वर्ष से बकाया था तथा पाँच संस्थाओं के लेखे 13 वर्ष से बकाया थे, जिसका विवरण तालिका–6.5 में दिया गया है।

तालिका–6.5: आर्थिक क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली विभिन्न संस्थाओं के बकाया लेखाओं को दर्शाने वाला विवरण

क्र0 सं0	संस्थाओं का नाम	वर्ष जिनके लेखे बकाया हैं	बकाया लेखाओं की संख्या
1	उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (यूपीईआरसी)	2017-18	01
2	उत्तर प्रदेश क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन योजना प्राधिकरण	2017-18	01
3	खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड	2013-14 से 2017-18	05
4	उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण	2017-18	01
5	न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण	2005-06 से 2017-18	13
6	ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण	शून्य	शून्य
7	यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण	2005-06 से 2017-18	13
8	सथारिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण	2005-06 से 2017-18	13
9	गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण	2005-06 से 2017-18	13
10	लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण	2005-06 से 2017-18	13
11	लखनऊ विकास प्राधिकरण	2017-18	01
12	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	2017-18	01
13	आगरा विकास प्राधिकरण	2017-18	01
14	मेरठ विकास प्राधिकरण	2017-18	01
15	प्रयागराज विकास प्राधिकरण	2017-18	01
16	हापुड़/पिलखुआ विकास प्राधिकरण	2017-18	01
17	वाराणसी विकास प्राधिकरण	2017-18	01
18	मुरादाबाद विकास प्राधिकरण	2017-18	01
19	गोरखपुर विकास प्राधिकरण	2017-18	01
20	मथुरा–वृन्दावन विकास प्राधिकरण	2017-18	01
21	अलीगढ़ विकास प्राधिकरण	2017-18	01
22	बरेली विकास प्राधिकरण	2017-18	01
23	रायबरेली विकास प्राधिकरण	2017-18	01
24	सहारनपुर विकास प्राधिकरण	2017-18	01
25	अयोध्या/फैजाबाद विकास प्राधिकरण	2017-18	01
26	फिरोजाबाद–शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण	2017-18	01
27	कानपुर विकास प्राधिकरण	2017-18	01
28	रामपुर विकास प्राधिकरण	2017-18	01

[8] सात औद्योगिक विकास प्राधिकरणों की लेखापरीक्षा जीओयूपी के आदेश दिनांक 17 जनवरी 2018 के द्वारा 2005–06 से सौंपी गयी तथा 28 विकास प्राधिकरणों एवं पाँच विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों की लेखापरीक्षा, जीओयूपी के आदेश दिनांक 10 अप्रैल 2017 द्वारा सौंपी गयी।

क्र0 सं0	संस्थाओं का नाम	वर्ष जिनके लेखे बकाया हैं	बकाया लेखाओं की संख्या
29	उन्नाव–शुक्लागंज विकास प्राधिकरण	2017-18	01
30	झाँसी विकास प्राधिकरण	2017-18	01
31	मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण	2017-18	01
32	बुलंदशहर विकास प्राधिकरण	2017-18	01
33	खुर्जा विकास प्राधिकरण	2017-18	01
34	उरई विकास प्राधिकरण	2017-18	01
35	बाँदा विकास प्राधिकरण	2017-18	01
36	बागपत बड़ौत खेकड़ा विकास प्राधिकरण	2017-18	01
37	आजमगढ़ विकास प्राधिकरण	2017-18	01
38	बस्ती विकास प्राधिकरण	2017-18	01
39	विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, शक्तिनगर	2017-18	01
40	विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, चित्रकूट	2017-18	01
41	विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, कपिलवस्तु	2017-18	01
42	विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, विंध्याचल–मिर्जापुर	2017-18	01
43	विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण कुशीनगर	2017-18	01
44	उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण	शून्य	शून्य

स्रोतः लेखापरीक्षा द्वारा संकलित सूचना

राज्य विधानमण्डल में संस्थाओं के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतीकरण की स्थिति

6.6.2 उत्तर प्रदेश के आर्थिक क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली दो संस्थाओं के लेखाओं की लेखापरीक्षा पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (पृलेप्र), जो कि अभी राज्य विधानमण्डल में प्रस्तुत किये जाने हैं, का विवरण तालिका–6.6 में दर्शाया गया है।

तालिका–6.6: राज्य विधानमण्डल में प्रस्तुत किये जाने हेतु बकाया पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का विवरण

क्र0 सं0	संस्था का नाम	वर्ष जहाँ तक पृलेप्र विधानमण्डल में प्रस्तुत किये जा चुके हैं	विधानमण्डल में प्रस्तुत न किये गये पृलेप्र की स्थिति		पृलेप्र को प्रस्तुत न किये जाने के कारण
			पृलेप्र का वर्ष	सरकार को निर्गत करने की तिथि	
1	उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (यूपीईआरसी)	इसकी स्थापना (2003–04) से कोई पृ0ले0प्र0 विधानमण्डल में नहीं प्रस्तुत किये गये	2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17	19 अक्टूबर 2006 5 अक्टूबर 2007 5 अक्टूबर 2007 3 अक्टूबर 2008 17 अगस्त 2009 15 अगस्त 2010 26 मई 2011 08 जून 2012 24 सितम्बर 2014 20 फरवरी 2015 22 जून 2015 28 दिसम्बर 2015 18 मई 2017 08 मार्च 2019	कारण प्रस्तुत नहीं किये गये
2	उत्तर प्रदेश क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन योजना प्राधिकरण	शून्य	2010-11 2011-12 2012-13	2 मई 2019 1 अक्टूबर 2019 1 अक्टूबर 2019	कारण प्रस्तुत नहीं किये गये

6.7 लेखापरीक्षा के दृष्टान्त पर वसूलियाँ

लेखापरीक्षा के दौरान विभिन्न विभागों/संस्थाओं में चार प्रकरणों में ₹ 49.00 करोड़ की इंगित वसूलियाँ स्वीकार की गयीं थीं। इसके विरूद्ध, 1 अप्रैल 2017 से 30 सितम्बर 2019 तक एक प्रकरण में ₹ 1.19 करोड़ की वसूली की गयी जिसका विवरण तालिका–6.7 में दिया गया है।

तालिका–6.7: लेखापरीक्षा द्वारा इंगित और विभागों/संस्थाओं द्वारा स्वीकार/वसूली की गयी वसूलियाँ

(₹ करोड़ में)

विभाग	वसूलियों का विवरण	1 अप्रैल 2017 से 30 सितम्बर 2019 तक लेखापरीक्षा में इंगित तथा विभाग द्वारा स्वीकार की गयी वसूलियाँ		1 अप्रैल 2017 से 30 सितम्बर 2019 तक की गयी वसूलियाँ	
		प्रकरणों की संख्या	शामिल धनराशि	प्रकरणों की संख्या	शामिल धनराशि
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण अतिरिक्त भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क लगाने में विफल रही	1	6.83	-	-
	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण नगरीय विकास शुल्क को संशोधित एवं वसूल करने में विफल रही	1	18.91	-	-
	प्रोत्साहन योजना का अनुचित लाभ देकर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को हानि उठानी पड़ी	1	22.14	-	-
ऊर्जा के अतिरिक्त स्रोतों का विभाग	ठेकेदार के बिलों से लेबर सेस का न काटा जाना	1	1.12	1	1.19
योग		**4**	**49.00**	**1**	**1.19**

स्रोत : लेखापरीक्षा द्वारा संकलित सूचना